. फारम सं0-563

क्रम संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख़ सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

नारायण ठाकुर, पिता बालेश्वर ठाकुर, ग्राम-पसई, डाकघर रेवाली, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-पसई, थाना नं0-126, खाता संख्या-12, प्लॉट संख्या-2318, 2317, क्रमशः रकवा-02डी0, 02डी0 कुल रकवा-04 डी0 भूमि कौशलया कुमारी, पति रौशन ठाकुर, ग्राम-पतराखुर्द, डाकघर गर्रीकला, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र, केवाला एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-226/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-1334/रा0, दिनांक-13.04.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 1154 दिनांक 13.09.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को केवाला एवं खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत गुरूदयाल हजाम हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 04.55 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा पंजी-II के पृष्ठ संख्या-25/XII पर रकवा 10 डी0 नारायण ठाकुर एवं पंजी-II के पृष्ठ संख्या-80/VI पर रकवा 4.50 एकड़ गुरूदयाल वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2020-21 तक लगान रसीद निर्गत् है। जमाबंदी रैयत केवाला अनुसार स्वयं एवं खतियान अनुसार परदादा है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा/आवेदक के हिस्से की भूमि 01 एकड़ (लगभग) है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा-70 डी0 भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदकों के दखल कब्जा में है।

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	3

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में नारायण ठाकुर, पिता बालेश्वर ठाकुर, ग्राम–पसई, डाकघर रेवाली, थाना–कटकमदाग, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–कटकमदाग, मौजा–पसई, थाना नं0–126, खाता संख्या–12, प्लॉट संख्या–2318, 2317, क्रमशः रकवा–02डी0, 02डी0 कुल रकवा–04 डी0 भूमि कौशलया कुमारी, पति रौशन ठाकुर, ग्राम–पतराखुर्द, डाकघर गरीकला, थाना–केरेडारी, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.10.20 13:53:01 +05:30
Location: 192.168.0.110